

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

11-7-24

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 26-7-24 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

26-7-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रावीण उपस्थित, विपक्षीगण के
सम्मन वास तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ
किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक बरखावाणे
दिलायी जाने के वास भी उपस्थित गयी, इनके विरुद्ध वरफा
कार्यवाही के अडिश दिये जाते हैं वकील प्रावीण का प्रापण
स्वीकार किया जाकर निर्णय क्षयक से लिखा जाकर शां पठ
किया गया। पत्रावली फंसल शुभार होकर जम्बर से कम
हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 175/24 प्रा०पत्र

1- श्रीमती बाबाजी व/० देवीलाख रेगर निवासी-बासवन्तपुरा तह माण्डल [वैरा]

-प्राथी

बनाम

1- श्रीमती गंगा व/० श्री पन्ना रेगर निवासी-बासवन्तपुरा तह माण्डल [वैरा]
(पृष्ठंकित 9077/सालंक)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 26.7.24


::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बासवन्तपुरा पटवार हल्का वैरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 293 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3035 हेक्टर पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सदघो विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-7-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बासवन्तपुरा पटवार हल्का वैरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 293 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3035 हेक्टर पर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारि किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वैरा को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में भूके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुसतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा